

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 266/2019 (धारा 14 सिक्वोरिटार्इजेशन)
मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि0 (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लि0) पता प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कालोनी, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जसवंत कुमावत पुत्र श्री रामकिशन कुमावत
2. श्री रामकिशन कुमावत पुत्र श्री भौरी लाल
3. श्रीमती मूली देवी पत्नि श्री रामकिशन कुमावत
4. श्री लोकेश कुमावत पुत्र श्री रामकिशन कुमावत
निवासी:-प्लाट नम्बर 504, केवटा नगर स्कीम 11, न्यू सांगानेर रोड़, जिला जयपुर
5. श्री कैलाश चन्द भाटीया पुत्र श्री घासी राम भाटीया
निवासी:-निमेड़ा, सिरसी रोड़, जिला, जयपुर

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश


दिनांक 3-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.04.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) प्लाट नम्बर 504, कटेवा नगर स्कीम 11, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 168 वर्गगज अप्रार्थी श्री रामकिशन कुमावत पुत्र श्री भौरी लाल के नाम पर है व (2) प्लाट न. 167, अपेक्स सिटी, अजमेर रोड़, अखेपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 1293.70 वर्गगज अप्रार्थी कि श्रीमती मूली देवी पत्नि श्री रामकिशन कुमावत के नाम पर स्थित सम्पत्ति को बन्धक रख कर 6,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायहित में अप्रार्थी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक (1) प्लॉट नम्बर 504, कटेवा नगर स्कीम 11, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 168 वर्गगज अप्रार्थी श्री रामकिशन कुमावत पुत्र श्री भौरी लाल के नाम पर है व (2) प्लॉट न. 167, अपेक्स सिटी, अजमेर रोड़, अखेपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 1293.70 वर्गगज अप्रार्थी कि श्रीमती मूली देवी पत्नि श्री रामकिशन कुमावत के नाम पर स्थित सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
7. आदेश आज दिनांक 3-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।




 (जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर